

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(16) राज/वाद/08

जयपुर दिनांक 17/11/2019

:: आदेश ::

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से श्री फरजंद अली, (पंजीयन क्रमांक आर/618/1992) को राजकीय अधिवक्ता कम अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पद पर मासिक रिटेनरशिप राशि रूपये 31,200/- प्रतिमाह पर कार्यभार संभालने की तिथि से अग्रिम आदेश तक आपराधिक प्रकरणों के संचालन/पैरवी के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24 एवं राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 14 व 15 के अनुसरण में नियुक्त किया जाता है। इनकी सेवा शर्तें निम्न प्रकार होगी:-

1. राजकीय अधिवक्ता कम अतिरिक्त महाधिवक्ता का मुख्यालय जोधपुर होगा।
2. वे मासिक रिटेनरशिप फीस के अलावा राजकीय अधिवक्ता कम अतिरिक्त महाधिवक्ता के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली राशि/सुविधायें प्राप्त करेंगे।
3. उनका मुख्यालय जोधपुर से बाहर रहने पर उन्हें टी.ए. व डी.ए. शासन सचिव, विधि के समान देय होगा।
4. वे राजकीय अधिवक्ता कम अतिरिक्त महाधिवक्ता के लिए नियत सभी कर्तव्यों की पालना महाधिवक्ता के निर्देशानुसार एवं स्वतंत्र रूप से करेंगे।
5. वे अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त राजस्थान लॉ एण्ड ज्यूडिशियल डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 एवं राजकीय वादकरण नीति, 2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) में अंकित कर्तव्यों का पालन भी करेंगे।
6. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों एवं निगमों का, जिनमें राजकीय हितों का उनसे विरोध हो, ऐसा कोई मामला (ब्रीफ) स्वीकार करने के अधिकारी नहीं होंगे।
7. राजकीय अधिवक्ता कम अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में उच्च न्यायालय में उनके द्वारा किये गये किसी सरकारी कार्य के लिए, जिसमें राय देने का कार्य भी सम्मिलित है, कोई अतिरिक्त फीस प्राप्त करने का हकदार नहीं होंगे।
8. वे अपने पदभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 16 के अनुसार लिखित में अडरटेकिंग एवं घोषणा प्रस्तुत करेंगे।
9. उक्त शर्तों के अलावा विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा समय - समय पर जारी सेवा शर्तों/ निर्देशों/परिपत्रों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

६०

(महावीर प्रसाद शर्मा)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 उपमुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 विधि मंत्री/मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/जिलाधीश/विभागाध्यक्ष /सचिवालय के समस्त विभाग।
3. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।
4. समस्त अति. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
5. राजकीय अधिवक्ता/गवर्नमेंट काउन्सिल, जयपुर/जोधपुर।
6. समस्त अति0 महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
7. संबंधित अधिवक्ता।
8. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज0 जयपुर को राज पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
10. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
11. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
12. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
13. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
14. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी।
15. कोषाधिकारी, जोधपुर।
16. लेखा शाखा, विधि विभाग।
- ✓ 17. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
18. रक्षित पत्रावली।


17/11/19
(चंचल मिश्रा)

शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(16) राज/ वाद/ 08

जयपुर दिनांक 17/1/2019

:: आदेश ::

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से श्री फरजंद अली, (पंजीयन क्रमांक आर/618/1992) को राजकीय अधिवक्ता कम अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पद पर मासिक रिटेनरशिप राशि रूपये 31,200/- प्रतिमाह पर कार्यभार संभालने की तिथि से अग्रिम आदेश तक आपराधिक प्रकरणों के संचालन/पैरवी के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24 एवं राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 14 व 15 के अनुसरण में नियुक्त किया जाता है। इनकी सेवा शर्तें निम्न प्रकार होंगी:-

1. राजकीय अधिवक्ता कम अतिरिक्त महाधिवक्ता का मुख्यालय जोधपुर होगा।
2. वे मासिक रिटेनरशिप फीस के अलावा राजकीय अधिवक्ता कम अतिरिक्त महाधिवक्ता के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली राशि/ सुविधायें प्राप्त करेंगे।
3. उनका मुख्यालय जोधपुर से बाहर रहने पर उन्हें टी.ए. व डी.ए. शासन सचिव, विधि के समान देय होगा।
4. वे राजकीय अधिवक्ता कम अतिरिक्त महाधिवक्ता के लिए नियत सभी कर्तव्यों की पालना महाधिवक्ता के निर्देशानुसार एवं स्वतंत्र रूप से करेंगे।
5. वे अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त राजस्थान लॉ एण्ड ज्यूडिशियल डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 एवं राजकीय वादकरण नीति, 2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) में अंकित कर्तव्यों का पालन भी करेंगे।
6. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों एवं निगमों का, जिनमें राजकीय हितों का उनसे विरोध हो, ऐसा कोई मामला (ब्रीफ) स्वीकार करने के अधिकारी नहीं होंगे।
7. राजकीय अधिवक्ता कम अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में उच्च न्यायालय में उनके द्वारा किये गये किसी सरकारी कार्य के लिए, जिसमें राय देने का कार्य भी सम्मिलित है, कोई अतिरिक्त फीस प्राप्त करने का हकदार नहीं होंगे।
8. वे अपने पदभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 16 के अनुसार लिखित में अंडरटेकिंग एवं घोषणा प्रस्तुत करेंगे।
9. उक्त शर्तों के अलावा विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सेवा शर्तों/ निर्देशों/ परिपत्रों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

ह0/-

(महावीर प्रसाद शर्मा)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/ निजी सचिव, मा0 उपमुख्यमंत्री/ निजी सचिव, मा0 विधि मंत्री/ मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/ जिलाधीश/ विभागाध्यक्ष/ सचिवालय के समस्त विभाग।
3. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।
4. समस्त अति. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर बैंच।
5. राजकीय अधिवक्ता/ गवर्नमेंट काउन्सिल, जयपुर/जोधपुर।
6. समस्त अति0 महाधिवक्ता/ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
7. संबंधित अधिवक्ता।
8. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज0 जयपुर को राज पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
10. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
11. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
12. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
13. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
14. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/ संयुक्त विधि परामर्शी/ उप विधि परामर्शी।
15. कोषाधिकारी, जोधपुर।
16. लेखा शाखा, विधि विभाग।
17. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
18. रक्षित पत्रावली।

ह0/- (17/1/19)

(चंचल मिश्रा)

शासन सचिव, विधि